न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 47/2014

उनवान

(1) करणसिंह पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(2) घनश्याम सिंह पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(3) श्रीमती गजरा कंवर पत्नी अजीत सिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(4) यशवन्त सिंह पिता दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—ः वादीगण

बनाम

(1) श्री जीतमल पिता श्री चुन्नीलाल, जाति भोई, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(2) श्री राजु उर्फ राजेन्द्र पिता श्री चुन्नीलाल, जाति भोई, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(3) श्री रघुवीरी सिंह पिता श्री दिपसिंह जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(4) श्री राजेन्द्र पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(5) श्री इन्द्रजीत सिंह पिता श्री अनुप सिंह, जाति राजपुत,, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—ः प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 27.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक के संयुक्त खाते व स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि, खाता संख्या (नयी) 114 (पुरानी) 101 के सर्वे नम्बर 924 रकबा 0.03 हे0 भूमि वाके ग्राम गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा में संवत 2068 से 2071 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 खातेदार कृषक होकर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते है एवं राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का उक्त खाते की भूमि मे किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, फिर भी वह कानून अपने हाथ में लेकर आज से 2 दिन पूर्व उक्त भूमि में अवैध रूप से प्रवेश होकर अवैध रूप से पाया खोदकर निर्माण कार्य करने की धमकीयां दे रहे है तथा मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी है, जिसे वादीगण द्वारा मना किया तो उन्हे जान से मार देने की धमकीयां एवं बलात्कार आदि झुठे केसो में फंसा देने की धमकीयां दे रहे है। इसलिये उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है कि, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे और न ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करे और न ही किसी अन्य से करावे, इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद पत्र पेश करना आप न्यायालय में आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कार्य से रोका नहीं गया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा एवं वह अपने उक्त खाते की भूमि का उपयोग व उपभोग करने के स्वामित्व अधिकारों से वंचित हो जायेंगे एवं वाद की बाहुल्यताऐं बढेगी। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा उक्त अवैध कार्य करने के लिये रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested .

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये जाने पर प्रतिवदी संख्या 01 की ओर से श्री शक्तिसिंह, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश पही होने पर दिनांक 07.9.2016 को प्रतिवादी व उनके अभिभाषक के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्तें साक्ष्य वादी नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में करणसिंह पिता दिपसिंह का शपथ पत्र पेश होकर जिरह के समय वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श—1 प्रदर्शित करवाया जाकर वादी की साक्ष्य बन्द

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

करवाई गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप में जीतमल पिता चुन्नीलाल का शपथ पत्र पेश होकर बैचाननामा प्रदर्श डी–1, 750/– रू0 की रसीद प्रदर्श डी–2 प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, वाद के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि मौजा गढ़ी की जमबान्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 114 (नया) 101 (पुराना) के कुल किता 15 रकबा 1.15 हे0 भूमि वादीगण की खातेदारी होकर वादग्रस्त सर्वे नम्बर 924 रकबा 0.03 हे0 भूमि उक्त खाते में ही सम्मिलित है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य किया जाकर खातेदारान् को धमकिया दी जा रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की उक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा गढ़ी की खाता संख्या 114 (नया) 101 (पुराना) के कुल किता 15 रकबा 1.15 हे0 भूमि में सम्मिलित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 924 रकबा 0.03 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा गढ़ी की खाता संख्या 114 (नया) 101 (पुराना) के कुल किता 15 रकबा 1.15 हे0 भूमि में सम्मिलित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 924 रकबा 0.03 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः गढ़ी व इजलासः अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 47/2014

उनवान

(1) करणसिंह पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(2) घनश्याम सिंह पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(3) श्रीमती गजरा कंवर पत्नी अजीत सिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(4) यशवन्त सिंह पिता दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

(1) श्री जीतमल पिता श्री चुन्नीलाल, जाति भोई, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(2) श्री राजु उर्फ राजेन्द्र पिता श्री चुन्नीलाल, जाति भोई, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(3) श्री रघुवीरी सिंह पिता श्री दिपसिंह जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(4) श्री राजेन्द्र पिता श्री दिपसिंह, जाति राजपुत, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(5) श्री इन्द्रजीत सिंह पिता श्री अनुप सिंह, जाति राजपुत,, निवासी गढी, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 27.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा गढ़ी की खाता संख्या 114 (नया) 101 (पुराना) के कुल किता 15 रकबा 1.15 हे0 भूमि, में सम्मिलित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 924 रकबा 0.03 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27.8.2024 को ज़ारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

27.8.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता की बहस पर मनन, तथा वादी की ओर से पेश दस्तावेज, अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पृथक से निर्णय पारित कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:27:01 IST
Reason: SelfAttested